प्रेस विज्ञप्ति
03.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण राशि के विपथन से संबंधित मामले में मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों से संबंधित 01 औद्योगिक भूखंड और 03 आवासीय फ्लैटों के रूप में 6.37 करोड़ रुपये मूल्य की 04 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां अहमदाबाद (गुजरात) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

ईडी ने सीबीआई,विशेष अपराध शाखा (एससीबी) लखनऊ द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इसके निदेशकों विनय कनोडिया, बृजेश कनोडिया, श्रीमती गायत्री देवी कनोडिया और सीएन मालवीय के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी/जाली दस्तावेजों का उपयोग करके संबंधित संस्थाओं के पक्ष में अंतर्देशीय साख पत्र (क्रेडिट पत्र) प्राप्त कर ऋण राशि का गलत इस्तेमाल किया है, ऋण सुविधाओं का उपयोग करके प्राप्त धन को स्वीकृत उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित किया है। इस तरह प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा वास्तविक व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए ऋण राशि का गबन किया गया। इसके अलावा, उक्त कंपनी के निदेशकों ने ऋण स्वीकृति समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गैर-ऋण देने वाले बैंकों के साथ कई खाते खोले ताकि बिक्री आय/देनदार की वसूली को सीसी/ऋण खातों में जमा करने से बचा जा सके।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने 01.04.2018 को मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत ऋण सुविधाओं को अनर्जक आस्तियां (एनपीए) घोषित कर दिया और एनपीए की तिथि यानी 01.04.2018 को बकाया राशि 18.95 करोड़ रुपये थी। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेसर्स विनय वायर्स

द्वारा बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं के विरुद्ध 8.35 करोड़ रुपये की राशि में गिरवी रखी गई आठ संपत्तियों को बेच दिया और उस राशि को वसूल कर लिया।

आगे की जांच जारी है।